पत्रांक–05 / क3–09 / 2011
बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

विश्वनाथ प्रसाद,
अवर सचिव–सह–बजट पदाधिकारी।

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सिवान।

पटना, दिनांक

विषयः– जिला जन शिक्षा कार्यालय, सिवान के कार्यालय भवन मद में अधिक आवंटन / भुगतान की राशि की वसूली के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–287 दिनांक–01.08.13, 314 दिनांक–27.08.13 तथा 409 दिनांक–09.12.13 की तरफ आपका व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि जिला जन शिक्षा कार्यालय भवन, सिवान के मकान मालिक से पूर्व में किराया मद में अधिक भुगतान की राशि रूपये **1,94,608 / –(एक लाख चौरानवें हजार छः सौ आठ रूपये)** मात्र की वसूली के संदर्भ में कृत कार्रवाई की सूचना अभी तक अप्राप्त है।

अनुरोध है कि वांछित सूचना एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराया जाये।

विश्वासभाजन,
ह0 / –
(विश्वनाथ प्रसाद),
अवर सचिव–सह–बजट पदाधिकारी।

ज्ञापांक– 30 पटना, दिनांकः– 30/1/14

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, सिवान / क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण (छपरा) / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), सिवान / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता, सिवान / आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) श्री नरेन्द्र कुमार द्विवेदी, मुहल्ला–नई बस्ती, महादेवा, सिवान को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आपके पत्रांक–शून्य दिनांक–शून्य में वांछित राशि की वसूली नहीं करने के संदर्भ में दिया गया दावा मान्य नहीं है। किराया का निर्धारण एकरारनामा / किराया निर्धारण प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जाता है। एकरारनामा के अतिरिक्त जगह कार्यालय के उपयोग हेतु देने के आधार पर वसूली योग्य राशि की वसूली में छुट अनुमान्य नहीं है।

(विश्वनाथ प्रसाद),
अवर सचिव–सह–बजट पदाधिकारी।